संख्या-55/2015/1325/30-3-15-6बी/2014

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक 02 जुलाई, 2015

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-472सड़क सुरक्षा/2015-45स0सु0/2013, दिनॉक 03-06-2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-12-2014 में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में कराये जाने वाले कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष में निम्नलिखित कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-12/3710/30-3-14-6बी/2014, दिनॉक 16-01-2015 द्वारा धनराशि रू0 300 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि जारी की गयी है :-

(1) यातायात नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये 06 पब्लिसिटी वैन क्रय करने हेतु धनराशि रू0 150 लाख
(2) इन्टरसेप्टर एवं काली फिल्मों की जॉच हेतु टिंट मीटर क्रय करने हेतु धनराशि रू0 75 लाख
(3) सीएनजी वाहनों की जॉच हेतु 10 सचल जॉच संयंत्र क्रय करने के हेतु धनराशि रू0 75 लाख

2- उपरोक्त धनराशि में से निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि के व्यय किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 240.66 लाख (रू0 दो करोड़ चालीस लाख छियासठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-12-2014 का निर्णय बिन्दु		आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)	व्यय की गयी धनराशि (रू0 लाख में)	अवशेष धनराशि (रू0 लाख में)
1	यातायात नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये 06 पब्लिसिटी वैन क्रय करने हेतु	150	-	150
2	इन्टरसेप्टर एवं काली फिल्मों की जॉच हेतु टिंट मीटर क्रय करने हेतु	75	-	75
3	सीएनजी वाहनों की जॉच हेतु 10 सचल जॉच संयंत्र क्रय करने के हेतु	75	59.34	15.66
	योग -	**300**	**59.34**	**240.66**

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-55/2015/1325(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in